REET 2025
LEVEL-1&2
वंदन बैच
POLITY
विधानमंडल
LIVE
12-02-2025 07:00 PM

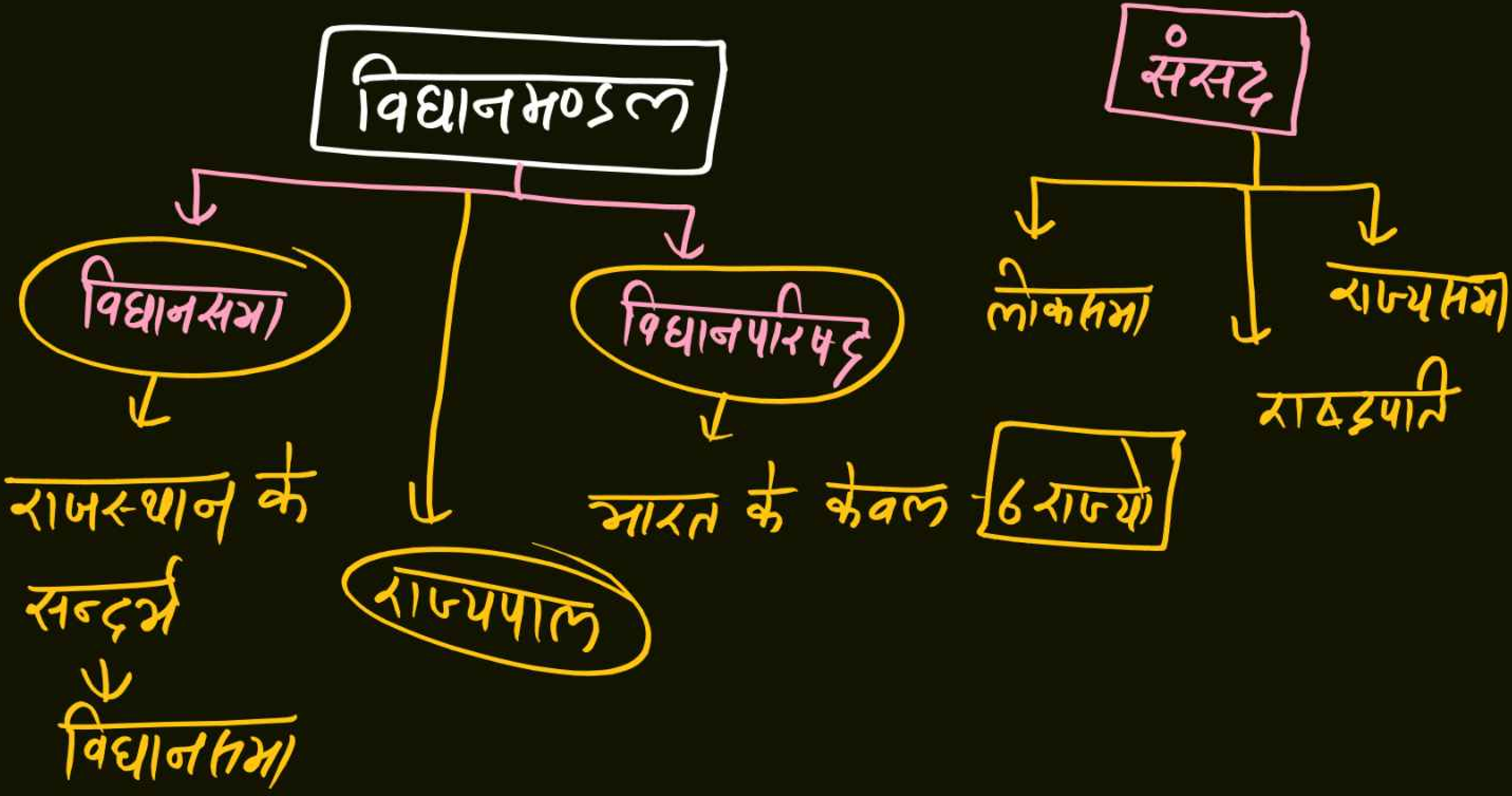
विधानमंडल
विधानसभा
राजस्थान के सन्दर्भ
विधानसभा
राज्यपाल
विधानपरिषद
भारत के केवल 6 राज्यों
संसद
लोकसभा
राष्ट्रपति
राज्यसभा

REET POLITY

राज्य विधानमण्डल

- विधानमण्डल
  - द्विसदनीय
    - राज्यपाल
    - विधानसभा
    - विधानपरिषद्
  - एकसदनीय
    - राज्यपाल
    - विधानसभा

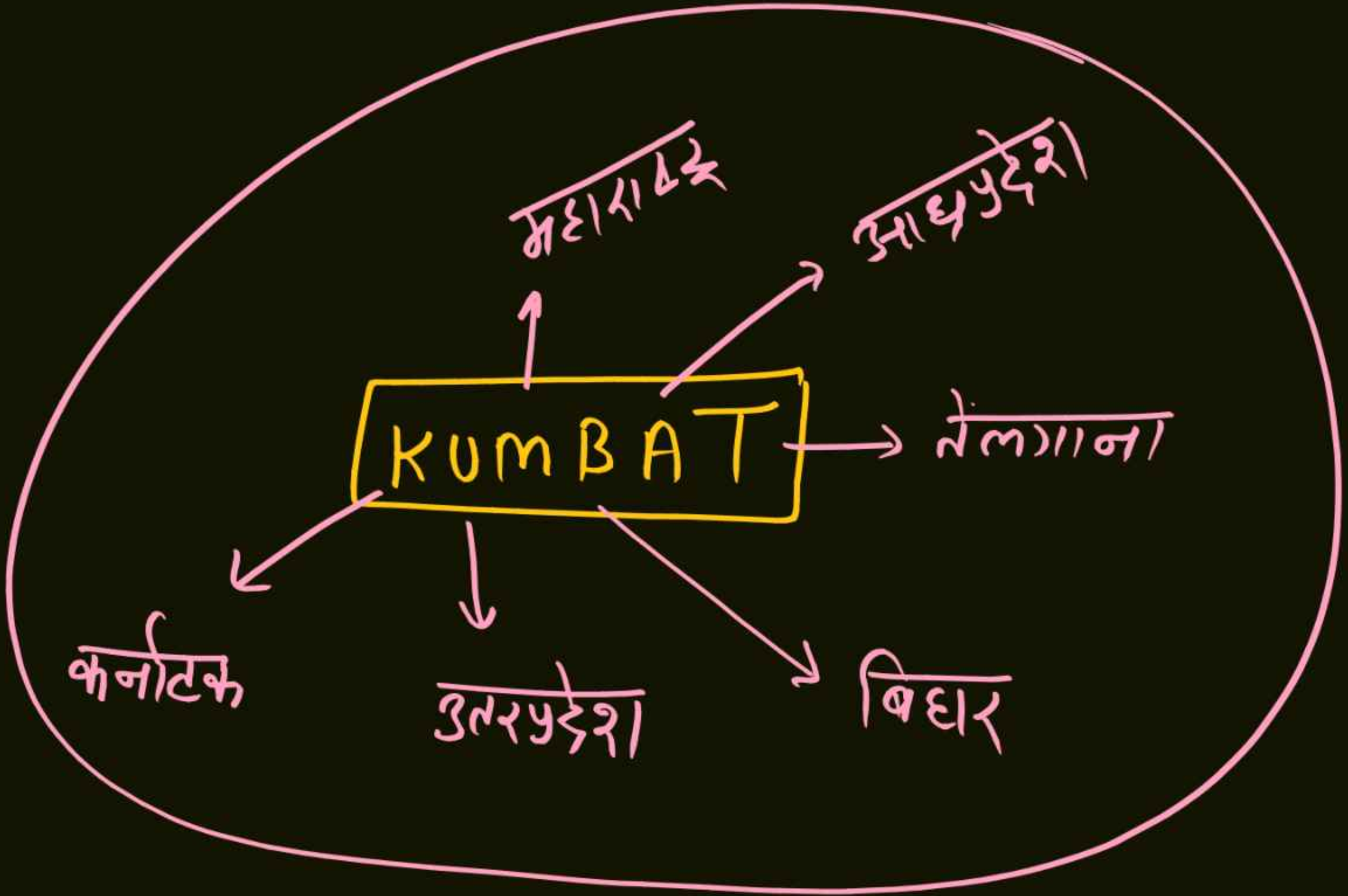
KUMBAT
महाराष्ट्र
आंध्रप्रदेश
तेलंगाना
कर्नाटक
उतरप्रदेश
बिहार

REET POLITY

वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं-

6 राज्य

- उत्तरप्रदेश
- तेलंगाना
- महाराष्ट्र
- आंध्रप्रदेश
- बिहार
- कर्नाटक

REET POLITY

- अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की व्यवस्थापिका द्विसदनीय से एक सदनीय में बदल गयी है।
- राजस्थान में एक सदनीय विधानमण्डल है, यहाँ केवल विधानसभा कार्यरत है। अतः राजस्थान की विधानमण्डल के दो अंग है राज्यपाल और विधानसभा।
- विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन कहा जाता है।
- विधानपरिषद् को द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं।

REET POLITY

विधान मण्डल

- विधानसभा → प्रथम/निम्म्र/लोकप्रिय सदन
- विधानपरिषद् → द्वितीय/उच्च/स्थायी सदन

विधान परिषद् का सृजन व समाप्ति (अनुच्छेद 169)-

- विधानपरिषद् के सृजन और समाप्ति के लिए विधानसभा द्वारा संसद को सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद को प्राप्त है।
- अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद् के सृजन या समाप्ति के लिए कानून बनाएगी।
- राज्य विधान परिषद् एक समापनीय सदन है लेकिन अविघटनीय सदन है अर्थात् इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता।

REET POLITY

विधान परिषद् का गठन-

- संविधान में विधानपरिषद् की न्यूनतम सदस्य संख्या 40 निर्धारित की गई है। साथ ही इसकी अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी।
- विधानपरिषद् के लगभग 5/6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
- शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष कार्य करने वालों में से मनोनीत किया जाता है।
- विधानपरिषद् के सदस्यों का विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार विभाजन निम्न है-

REET POLITY

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल सदस्यों में से भाग
1.	नगरपालिकाओं, जिला परिषदों व ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुनाव	1/3
2.	विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन	1/3
3.	राज्य के कम से कम तीन वर्षों से स्नातक व्यक्तियों द्वारा चुनाव	1/12
4.	माध्यमिक या इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3 वर्ष से पढ़ा रहे अध्यापकों द्वारा चुनाव	1/12
5.	राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों से व्यक्तियों का मनोनयन	1/6

विधान परिषद् की सदस्यता हेतु योग्यताएँ-

- विधानपरिषद् की सदस्यता हेतु विधानसभा के समान ही योग्यताएं अपेक्षित हैं, अंतर केवल यह है कि विधानपरिषद् की सदस्यता हेतु आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

Age

पंचायत के चुनाव → 21 year

विधानसभा →
लोकसभा → — 25 year

राज्यसभा →
विधानपरिषद — 30 year

राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
राज्यपाल — 35 year

विधान परिषद् का कार्यकाल-

- विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है, जिसे राज्यपाल भी भंग नहीं कर सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य पदत्याग कर देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन होता है।

विधानपरिषद सदस्य —
- → न्यूनतम ⇒ 40
- → अधिकतम → विधानसभा की सीटों के 1/3

विधान परिषद् के पदाधिकारी-

- विधानपरिषद् अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति को चुनती है। इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी विधानपरिषद् को प्राप्त है।

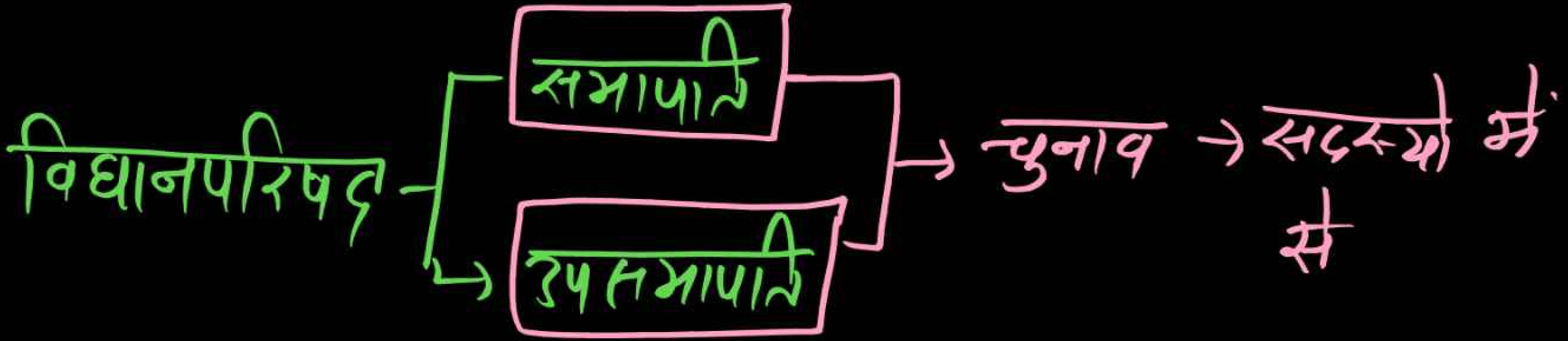

REET POLITY

विधान परिषद् की शक्तियाँ व कार्य-

- धन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयक पहले विधान परिषद् में पेश किए जा सकते हैं।
- अनुच्छेद 197 के अनुसार यदि कोई साधारण विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधानपरिषद् द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए या विधान परिषद् विधेयक में ऐसे संशोधन करे जो विधानसभा को स्वीकार्य न हो या विधेयक पेश होने से तीन माह तक विधान परिषद् पास न करें, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद् के पास भेजे और विधान परिषद् उसे पुनः अस्वीकृत कर दे या पेश होने से एक माह की तिथि तक विधेयक को पास न करे या ऐसे संशोधन करे जो विधानसभा को स्वीकार न हो तो विधेयक परिषद् द्वारा पास किए बिना ही दोनों सदनों द्वारा पास समझा जाएगा।

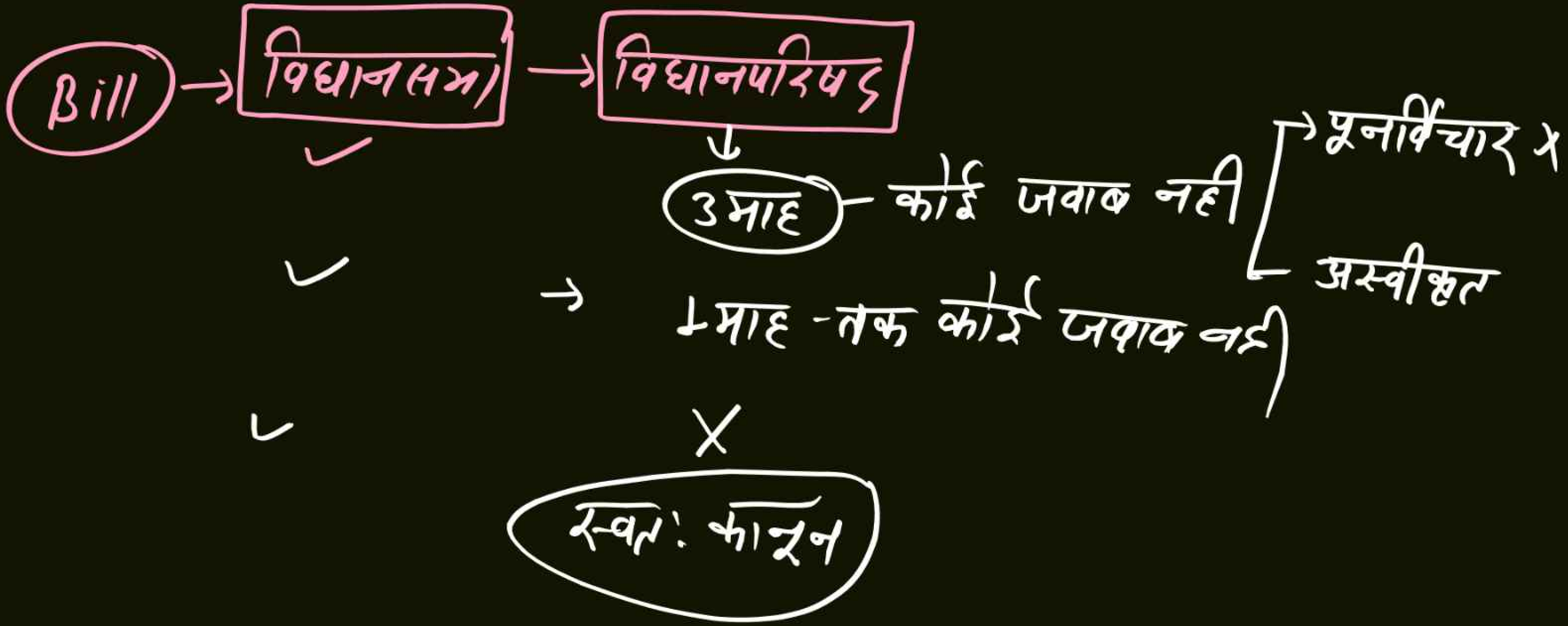
Bill
विधानसभा
विधानपरिषद
3 माह
कोई जवाब नही
पुनर्विचार ×
अस्वीकृत
1 माह तक कोई जवाब नही
स्वतः कानून

REET POLITY

- इस प्रकार किसी साधारण विधेयक को विधानपरिषद् केवल चार माह (3+1) तक रोककर रख सकती है।
- मंत्रिपरिषद् के सदस्य विधानपरिषद् से भी हो सकते हैं।
- विधानपरिषद् प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद-विवाद के आधार पर मंत्रिपरिषद् को नियंत्रित करती है, किन्तु उसे मंत्रिपरिषद् को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

नोट - धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। विधानपरिषद् उसे केवल 14 दिन के लिए रोककर रख सकती है। उसके बाद धन विधेयक दोनों सदनों से पारित समझा जाता है।

धन विधेयक

→ विधानसभा

पारित

विधानपरिषद्

→ 15 दिन तक ⇒ स्वतः

विधानसभा के पास शक्ति ↑